



भारत सरकार

**Government of India** 

खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

**Indian Bureau of Mines** 

Mine Code: 29RAJ04017

Makhupura, Industrial Area

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

दिनांक : 15.10.2019

पजाकृत पावता उल्लंघन पत्र

प्रेषित : Mine Agent,

Thob Selenite Mine,

संख्या : RAJ/BAR-39/SELENITE-13

M/s JK White Cement Works,

Post-Gotan, Tehsil-Merta, Distt. - Nagaur 342 902

Email: Thobmines@jkcement.com

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Thob

Selenite Mine (Lease area 90.4966 Ha.) in Barmer District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 05.10.2019 by the undersigned in presence of Sh. K. D. Jadhav,

Mines Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified
	Mining Plan (Approved on 05.12.2018) for the year 2018-19:
	1) During the year 2018-19 plantation was proposed over an area 1 hectare (1000 nos. Plants) but only
	110 nos. plantation has been carried out.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

o3. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> ( डी. आर. गुर्जर वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपूर (ई मेल द्वारा)

- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बाड़मेर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो